(26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:- 29/2025 दायर दिनांक:- 07.02.2025

जीसीएमएस नं. 2025/62

1. नाहरसिंह पुत्र रघुवीर
2. सोनसिंह पुत्र रघुवीर
3. राधा पुत्री रघुवीर
4. चमेली पुत्री रघुवीर
5. अनीता पुत्री सुशीला पुत्री रघुवीर
6. नूतन पुत्री सुशीला पुत्री रघुवीर
7. विनीता पुत्री सुशीला पुत्री रघुवीर

जाति जाट निवासी पट्टी नारायणपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

--प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित:- 1. श्री कर्मेन्द्र चतुर्वेदी वकील प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन अप्रार्थी

निर्णय दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवा में प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि क्यारदा कला प0 ह0 रेवई के खाता संख्या 151 संवत 2072-2075 आराजी खसरा न0 229/0.54, 230/0.39 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 ग्राम क्यारदा कला प0 ह0 रेवई तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान में स्थित है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 1 वादपत्र में वर्णित आराजी को भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा नम्बरान 139 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा से बनाकर अंकित किये है जो पूर्व में वादीगण के बुजुर्ग पिता व नाना रघुवीर पुत्र टुन्डा दस्तक पुत्र दलगंजी जाति जाट व रामजीलाल हरमुख पि0 घोटी जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो जमाबंदी संवत 2035 लगायत 2038 में भली प्रकार अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:32 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व की जमाबंदी में वादीगण के बुजुर्ग पिता व नाना रघुवीर पुत्र टुण्डा दस्तक पुत्र दलगंजी जाति जाट व रामजीलाल हरमुख पि0 घोटी जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो जमाबंदी संवत 2035 लगायत 2038 में भली प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अंकित है आगामी जमाबंदी बनाते समय सेटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा वादीगण की जाति जाट के स्थान पर जाति खटीक अंकित कर दी है जो गलत अंकित की है जिसे वादीगण सही कराने के हकदार है।

वादीगण के बुजुर्ग पिता व नाना रघुवीर पुत्र टुण्डा दत्तक पुत्र दलगंजी जाति जाट व रामजीलाल, हरमुख पि0 घोटी जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी रामजीलाल, हरमुख पि0 घोटी जाति जाट द्वारा अपने हिस्से की आराजी को परभाती पुत्र श्योनारायण जाति खटीक को बेचान कर दिया है इसलिये भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना अधिकार के वादीगण की जाति जाट के स्थान पर खटीक अंकित कर दी है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के हकदार है।

वादीगण को उक्त गलती का पता चलने पर वादीगण दिनांक 03.02.2025 को तहसीलदार से तहसील कार्यालय में दस्तावेजात लेकर मिला तथा रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी में नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा न0 229 रकबा 54 ऐयर, 230 रकबा 39 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 93 ऐयर वाके ग्राम क्यारदा कला तहसील हिण्डौन संवत 2072–75 आराजी में प्रार्थीगण की जाति खटीक हजफ की जाकर जाति जाट अंकित किया जावे तथा शेष खातेदारान पूर्वानुसार रहेगे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की ओर से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. खसरा न0 229 रकबा 0.54 है0 खसरा न0 230 रकबा 0.39 है0 सेटलमेंट खतौनी में रघुवीर पुत्र टुंडा दत्तक पुत्र दलगंजी निवासी [illegible] हिस्सा 1/2 प्रभाती पुत्र स्वनारायण हिस्सा 1/2 [illegible] खातेदार नाम दर्ज है।
2. वर्मनाम जमाबंदी ग्राम क्यारदा कला संवत 2072–75 की [illegible]ता संख्या 151 मे खसरा न0 229 व 230 किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 अनीता पुत्री रघुवीर सिंह हिस्सा 1/14 जाति खटीक वगै0 के नाम दर्ज है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिंडौन सिटी (करौली)

सभी खातेदारान की जाति खटीक अंकित है। जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न है।

प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबिक करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 151 वाके ग्राम क्यारदाकंला, मिलान क्षेत्रफल, बदोंबस्त विभाग जुलाई 1989 लगायत 2009 तक संवत 2046–66, जमाबंदी खतौनी सवंत 2035 से 38, आधार कार्ड नाहरसिंह, आधार कार्ड सोनसिंह पेश किये है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 151 वाके ग्राम क्यारदाकंला, मिलान क्षेत्रफल, बदोंबस्त विभाग जुलाई 1989 लगायत 2009 तक संवत 2046–66, जमाबंदी खतौनी सवंत 2035 से 38, आधार कार्ड नाहरसिंह, आधार कार्ड सोनसिंह है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार हिण्डौन के जबाव के परिपेक्ष्य में विवेचन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा0 पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजीयात खसरा न0 229, 230 वाके ग्राम क्यारदा कला तहसील हिण्डौन स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की जाति खटीक के स्थान पर जाट शुद्ध किया जाता है। इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार रिकार्ड में जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/6/23 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:32 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन